

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या File No- 5-3/2011-FC (Vol-1), दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको क्लास श्रेणी - कार्य योजना के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं है
2. हरियाली का घनत्व -
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 9.5778 रु. है0
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 7.32 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 70,10950/-

इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी याचक विभाग द्वारा जमा करा दी जाएगी।

प्रभागीय वन सचिव,
हरिद्वार वन विभाग, हरिद्वार
हरिद्वार